क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन (म.प्र.)

Website - ktbuniv.ac.in
E-Mail - ktbuniv@gmail.com

क्र. / 56.../ शैक्षणिक /सम्बद्धता/2026 खरगोन, दिनांक :- 28/02/2026

// अधिसूचना //

क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) से सत्र 2026-27 की अस्थाई सम्बद्धता / नवीनीकरण / पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता / सीट संख्या वृद्धि प्राप्त करने, नवीन महाविद्यालय / नवीन विषय / शोध केन्द्र प्रारम्भ करने एवं पूर्व से संचालित विषयों की उत्तरवर्ती कक्षाओं की अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल / केन्द्रीय निकाय की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण जानकारी (आवश्यक प्रपत्रो) के साथ CRISP के माध्यम से आवेदन एवं संबद्धता शुल्क तथा 18% जी.एस.टी. सहित जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैं :-

क्र.	विषय	विश्वविद्यालय में CRISP के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
1.	कला, वाणिज्य, विज्ञान, समाज विज्ञान, गृहविज्ञान, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, प्रबंधन एवं अन्य सामान्य पाठ्यक्रमों की सत्र 2026-27 में अस्थाई सम्बद्धता /नीवनीकरण / निरंतरता / सीट संख्या वृद्धि प्राप्त करने /नवीन महाविद्यालय प्रांरभ करने / नवीन विषय / शोध केन्द्र प्रारम्भ करने एवं पूर्व से संचालित विषयों की उत्तरवर्ती कक्षाओं की अस्थाई सम्बद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि।	12 मार्च 2026
2.	25% अतिरिक्त विलम्ब शुल्क सहित (with late fees) आवेदन करने की अंतिम तिथि	20 मई 2026

महाविद्यालय सम्पूर्ण आवेदन पत्र (PART-A) मय संलग्नको / दस्तावेजों (संलग्न सूची अनुसार) को प्राचार्य / संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर, महाविद्यालय की सील सहित साफ / पठनीय स्कैन कर ktbuniv@gmail.com पर ई-मेल करना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त दस्तावेजों को व्यवस्थित फाईल/ फोल्डर में तालिकानुसार फ्लेग लगाकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें। महाविद्यालय द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज सत्यापित कर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति महाविद्यालय के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता हैं कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावें जब कि महाविद्यालय राज्य शासन व नियामक निकाय से अनुमति एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जावें। यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था की होगी। ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की भी सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।

ऑनलाइन आवेदन/शुल्क जमा नहीं करने पर अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण/सीट की संख्या वृद्धि प्रकरण पर कार्यवाही नही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय/संस्था की होगी।

नोटः- 1. महाविद्यालय शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि का प्रतीक्षा न करें, यदि महाविद्यालयों द्वारा अंतिम तिथि पर बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सर्वरडाउन व अन्य किसी कारणवश निर्धारित अवधि में शुल्क जमा नहीं हो पाता है, तो महाविद्यालय को विलम्ब शुल्क माफ करने के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. शासकीय महाविद्यालय शुल्क जमा करने हेतु CRISP ऑनलाईन प्रभारी, क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन से सम्पर्क करें। किसी भी दशा में धनादेश/ बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आदेशानुसार

Mbo 28/02/2026

(डॉ. मनोहर दास सोमानी)
कुलसचिव

निरन्तर ......(2)

पृ.क्र./........./ शैक्षणिक / सम्बद्धता/2026 **खरगोन, दिनांक :-**

प्रतिलिपि -

1. सम्पादक, दैनिक .... की ओर भेजते हुए निवेदन है कि आपके लोकप्रिय दैनिक के समाचार वृत्त में नि:शुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्राचार्य / संचालक, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय / अशासकीय / स्वशासी महाविद्यालय, खरगोन, खण्डवा, बड़वानी, बुरहानपुर एवं आलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र शासन, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कुलपतिजी के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. Crisp ऑनलाईन प्रभारी, क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. विभागाध्यक्ष, आई टी सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(विरेन्द्र उचवारे)
सहा. कुलसचिव (अका.)

सम्बद्धता / नवीनीकरण / वार्षिक निरंतरता / सीट संख्या वृद्धि के आवेदन हेतु दिशा-निर्देश

1. महाविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता-नवीनीकरण / निरंतरता/ सीट संख्या वृद्धि के लिये पृथक-पृथक आवेदन किया जाये।
2. निरंतरता के आवेदन हेतु महाविद्यालय निम्नानुसार पृथक-पृथक फाईल विश्वविद्यालय में जमा करे :-
    a) बी.एड. / एम.एड. / बी.पी.एड. / एम.पी.एड. (NCTE) पाठ्यक्रम
    b) एम.बी.ए. / बी.बी.ए. / बी.सी.ए. (AICTE) पाठ्यक्रम
    c) अन्य सामान्य यू.जी. / पी.जी.पाठ्यक्रम
3. सभी प्रकार के आवेदन Crisp के माध्यम से विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इस हेतु महाविद्यालय सम्पूर्ण आवेदन पत्र (PART-A) मय संलग्नको / प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को संस्था के प्राचार्य/ सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर, महाविद्यालय की सील सहित साफ पठनीय स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अपलोड किए गए दस्तावेजों को व्यवस्थित फाईल/फोल्डर में तालिकानुसार फ्लेग लगाकर शुल्क जमा करने के तीन दिवस में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।
4. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सत्यापित नहीं होने की स्थिति में महाविद्यालय के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय / संस्था की होगी।
5. महाविद्यालय शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि का प्रतिक्षा न करें यदि महाविद्यालयों द्वारा अंतिम तिथि पर बैंकिंग, ऑनलाईन ट्रांजेक्शन, सर्वरडाउन व अन्य किसी कारणवश शुल्क अगर निर्धारित अवधि में जमा नहीं हो पाता तो महाविद्यालय को विलम्ब शुल्क के साथ ही भूगतान करना होगा उनके विलम्ब शुल्क माफ करने के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. शासकीय महाविद्यालय CRISP के माध्यम से शुल्क जमा करने हेतु CRISP प्रभारी, क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन (म.प्र.) से सम्पर्क करें। डी.डी. स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
7. नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावें जब कि महाविद्यालय को राज्य शासन से अनुमति, संबंधित नियामक निकाय की अनुमति एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायें। यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्था की होगी। विश्वविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी, ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की भी सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।
8. नवीन आवेदन करने वाले महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय परिनियम क्र 28 की कांडिका 3(i) (a) (b) (c) (d) के अनुसार संकायवार एण्डोमेंट फंड की राशि की एफ.डी. विश्वविद्यालय मे करने के उपरांत ही संबद्धता पत्र जारी किए जाएंगे।
9. नवीन महाविद्यालय अथवा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाले महाविद्यालयों को प्रथम वर्ष में प्रवेश न होने की स्थिति में उसी सत्र में शीघ्र शून्य वर्ष हेतु आवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
10. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में आवेदन के साथ प्रस्तुत करने वाले/अपलोड करने वाले समस्त दस्तावेजों को सत्यापित कर Scanned Pdf (बिन्दुवार Pdf Files) संस्था की आधिकारिक ईमेल - आई.डी. से विश्वविद्यालय की **Email ID -- ktbuniv@gmail.com** पर ईमेल भी करें।

महाविद्यालयों को अस्थाई सम्बद्धता / नवीनीकरण / सीट संख्या वृद्धि के आवेदन हेतु निम्नानुसार क्रम में दस्तावेज संस्था के सचिव से सत्यापित करवाकर क्रमानुसार फ्लैग लगाकर फाईल/फोल्डर में प्रस्तुत करना आवश्यक है :-

1. महाविद्यालय के प्राचार्य/संचालक के हस्ताक्षर से आवेदन पत्र
2. प्रपत्र-1
3. भाग "अ" (Part "A")
4. CRISP के माध्यम से जमा किये गये आवेदन एवं शुल्क रसीद की प्रति।
5. पाठ्यक्रम से सम्बंधित नियामक प्राधिकरण एवं राज्य शासन की अनुमतियाँ।
6. विश्वविद्यालय द्वारा जारी विगत वर्षो के स्थाई - अस्थाई सम्बद्धता / नवीनीकरण / सीट संख्या वृद्धि पत्र।
7. महाविद्यालय को विगत वर्ष में सशर्त अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई हो तो शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन।
8. महाविद्यालय कॉलेज कोड-28 में नियुक्त प्राचार्य एवं शिक्षकों की सूची।
9. गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची।
10. NAAC Accreditation की जानकारी एवं संबंधित प्रमाणपत्र।
11. 200/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र।
12. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा एण्डोमेंट फण्ड की जानकारी एवं एफ.डी. की छायाप्रति।
13. AISHE की जानकारी एवं संबंधित प्रमाणपत्र।
14. समिति का पंजीयन एवं समिति के सदस्यों की सूची व समिति की नियमावली।
15. महाविद्यालय की भूमि के पंजीयन के प्रपत्र/ लीज डीड / नगर एवं ग्राम नियोजन (TNCP) व स्थानीय निकाय की अनुमति।
16. भूमि का शहरी अथवा ग्रामीण (Urban or Rural) होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित पत्र की प्रति।
17. भवन का नक्शा, प्रत्येक तल की निर्माण योजना एवं फोटो।
18. ग्रंथालय में उपलब्ध पुस्तकों की जानकारी।
19. प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरणों की जानकारी।
20. खेल मैदान की जानकारी।
21. अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report)।

नोटः- महाविद्यालय जमा किए जाने वाले उपरोक्त सत्यापित दस्तावेजों की Scanned PDF (बिन्दुवार PDF Files) संस्था की आधिकारिक ईमेल आई.डी. से विश्वविद्यालय की Email **ID - ktbuniv@gmail.com** पर मेल से भी प्रेषित करें।

निरन्तर ......(5)

क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन

प्रपत्र-1

(महाविद्यालयों की वार्षिक जानकारी)

(1) महाविद्यालय का नाम ....
प्लॉट नं .... खरारा नं .... सर्वे नं .... ग्राम व पोस्ट ....
तहसील..................................... जिला .... पिन कोड नं ....
आधिकारिक ई-मेल आई डी ....
महाविद्यालय के संचालक/समिति सचिव का फोन नं ....

(2) प्राचार्य / निदेशक नाम .... मो. नं ....
ई-मेल आई डी..
कोड-28 (हाँ/नहीं)..................................... हॉ तो नियुक्ति दिनांक ....

(3) अशासकीय महाविद्यालय है तो संस्थापक समिति का नाम व पता ....
....
समिति के पंजीकरण का दिनांक एवं क्रमांक ....
उक्त समिति द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय :-
(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो उनका नाम व पता) ....
(i) ....
(ii) ....

(4) महाविद्यालय का स्थापना वर्ष :- ....

(5) को-एड. :- .... युजी/पीजी ....

(6) ऑटोनॉमस स्टेटस :- ....

क्र.	जिन विषयों में स्वशासी दर्जा है :-	अवधि
1.		
2.		

(7) नैक ग्रेड व अवधि ....

(8) महाविद्यालय के भवन की स्थिति (स्वयं/लीज पर/किराये पर) ....

(9) एन्डोमेन्ट फण्ड की राशी .... परिपक्वता दिनांक ....

(10) महाविद्यालय में कौन-कौन से संकाय संचालित है:- (विधि, प्रबन्ध, शिक्षा,विज्ञान, कला, वाणिज्य, समाजविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, इंजीनियरिंग साईसेस व अन्य)
(i) ....
(ii) ....

//शपथ पत्र का प्रारूप//

1. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ :-

   मेरा नाम :-

   पिता का नाम :-

   निवासी :-

   पद :-

   उम्र :-

   संस्था / महाविद्यालय का नाम :-

2. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि .... (समिति का नाम) द्वारा संचालित .... (महाविद्यालय का नाम) मध्यप्रदेश राज्य शासन / नियामक निकाय (Regulatory Body) एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति निर्देशों को पूर्ण पालन करता है।
3. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि महाविद्यालय में प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति कॉलेज कोड-28 के मापदण्डों के अनुसार की गई है।
4. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सशर्त अस्थाई सम्बद्धता में उल्लेखित शर्ता / कमियों की पूर्ति महाविद्यालय द्वारा कर दी गई है।
5. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परीनियम क्रमांक – 27 एवं 28 का पूर्ण पालन किया जा रहा है।

स्थान :- शपथ ग्रहिता

दिनांक :- (सील / हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ, कि बिन्दू क्रमांक 01 से 05 तक की दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सही है।

स्थान :- शपथ ग्रहिता

दिनांक :- (सील / हस्ताक्षर)

(11) महाविद्यालय में वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम (समूहवार)	सीट संख्या	स्थाई/अस्थाई सम्बद्धता	पाठ्यक्रम शुरु होने का वर्ष
1.				
2.				
3.				

(12) पीएच.डी. रिसर्च सेन्टर-

क्र.	शोध विषय	रिसर्च सेन्टर शुरू होने का वर्ष
1.		
2.		
3.		

स्थान　　　　हस्ताक्षर प्राचार्य एवं सील　　　　हस्ताक्षर अध्यक्ष / सचिव

दिनांक　　　　　　　　　　　　　　　　संस्थापक समिति एवं सील

(अशासकीय महाविद्यालय के लिए)

नोट:-

1. उपरोक्त जानकारी के आवश्यक दस्तावेज संस्था के सचिव द्वारा सत्यापित कर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त सत्यापित प्रपत्र की Scanned Pdf एवं Word File (in Kruti Dev 010 Font) Email ID - ktbuniv@gmail.com पर अनिवार्यतः अंतिम तिथि से पूर्व ई-मेल करें।
2. जानकारी भरने हेतु उक्त प्रपत्र-1 की Word File विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।